न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ0 नि0) अधिनियम, जौनपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या–02/2026
(पंजीकरण संख्या–04/2026)
साहबलाल––––––––––बनाम––––––––––––शुभम गौड़ एवं अन्य।

दिनांक–10.03.2026

1. पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुयी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) भा0ना0सु0सं0 पर सुना जा चुका है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

2. आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) भा0ना0सु0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह अनुसूचित जाति के अंतर्गत चमार है। घटना दिनांक 25.12.2025 समय करीब 12 बजे दिन की है, वह राजगिर का काम करके घर आ रहा था कि पहले की पुरानी रंजिश को लेकर शुभम गौड़, मुन्ना उर्फ नितिन, सिन्टू गौड़, नीशा, बजेश गौड़, नेहा सभी लोग एक राय होकर रामजानकी मंदिर के पास रोककर जातिसूचक शब्द चमार सियार की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो उपरोक्त सभी लोग उसको लात–घूसा से मारने–पीटने लगे व उसकी मोबाईल तथा 5,000/–रूपये जेब से निकाल लिये और धमकी दिये कि पुलिस को सूचना दोगे तो जान से मारकर खत्म कर देंगे। पास में लकड़ी तोड़ने गयी लालमनी देवी के शोर पर गांव के दयाराम व रमिला देवी दौड़कर आये, घटना देखे व बीच बचाव किये, तब जाकर उसकी जान बची। वह खून से लहूलुहान हो गया था, 112 नं0 पर फोन किया, पुलिस आयी, मौका देखी और चली गयी। 108 नंबर एम्बुलेंस आयी, उसको सदर अस्पताल जौनपुर में भर्ती कराया। उसका दवा ईलाज होने के बाद वह थाना लाइनबाजार पर गया, उसका मुकदमा लाइनबाजार की पुलिस ने पंजीकृत नहीं किया, और न ही पुलिस ने उसका मेडिकल कराया, जिसके बाद उसने जिलाधिकारी जौनपुर के आदेश पर अपना मेडिकल कराया। थाने द्वारा सुनवाई न किये जाने पर उसने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को दिनांक 29.12.2025 को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थनापत्र दिया, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। याचना की गयी है कि थानाध्यक्ष सरायख्वाजा को आदेशित किया जाये कि वे मुकदमा दर्ज कर विवेचना करे।

3. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को सम्बोधित प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री रसीद, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रतियां तथा चिकित्सीय प्रपत्र संलग्न किये गये हैं।

4. प्रार्थना पत्र के प्रकाश में थाने से आख्या प्राप्त है। थाना आख्यानुसार प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। थाना आख्या में यह भी उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 25.12.2025 को पुरानी रंजिश को लेकर आवेदक के लड़के करन व अरून द्वारा विपक्षी शुभम व उनके भतीजा मुन्ना उर्फ नितिन को मारा–पीटा गया व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना स्थानीय लाइन बाजार, जौनपुर वादी मुकदमा शुभम द्वारा मु0अ0सं0 508/2025, धारा 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 आवेदक के लड़के करन व अरून के खिलाफ अभियोग पंजीकृत है।

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.10 16:45:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा किये गये कथनों के आधार पर प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध कारित होना पाया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त तथ्य आवेदक के संज्ञान में है और वह अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में स्वयं सक्षम है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अभिनिर्णीत विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (59) ए0 सी0 सी0 739** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है।

6. अतः धारा 210 (1) (a) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दिनांक 13.05.2026 को पेश हो।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0कोड–6509